

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:एफ 4-2/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति।




वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-2/2015/नियम/चार, दिनांक 23 जून, 2016 द्वारा राज्य शासन, उपक्रमों/निगमों आदि से राज्य शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ तथा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पाँचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं को दिनांक 1-1-2016 से क्रमशः 881% एवं 166% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

2/ राज्य शासन के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में दिनांक 1-7-2016 से 7% की वृद्धि की गई है । अतः पैरा-1 में वर्णित कर्मचारियों को प्राप्त महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की दृष्टि से निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
1	2
म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में वेतन पाने वाले. दिनांक 01-12-2016 से (माह दिसम्बर, 2016 का वेतन जो जनवरी, 2017 में देय होगा)	मूल वेतन एवं व्यक्तिकृत वेतन (यदि कोई हो) का 910%
50% महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित -म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998. दिनांक 01-12-2016 से (माह दिसम्बर, 2016 का वेतन जो जनवरी, 2017 में देय होगा)	वेतन + महंगाई वेतन के योग का 174%

- 3/ माह जुलाई, 2016 से नवम्बर, 2016 तक की अवधि की देय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जावेगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे।
- 4/ महँगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों, तो उन्हें अगले उच्चतर ₹ में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
- 5/ महँगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा।
- 5/ इन आदेशों के अंतर्गत देय महँगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मिलिन्द वाईकर)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) आडिट मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग